

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

संलग्नक: दिनांक: 15-6-2019

--कार्यालय ज्ञापन--

अखिल भारतीय तह-नीची शिक्षा परिषद द्वारा वित्तिक सत्र 2019-20 हेतु विद्यार्थी सार्वीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-6-2019 को अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में प्राथिप कार्यालय में बैठक संवला हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/पठन क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुसार में सम्बद्धता समिति की बैठक की सद-2 में विधेयक इन इच्छी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्था पर प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गठन शिक्षा-विस्तार का विधेयक निर्णय किया गया -

- सलम्नक-1 में अंकित तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित विधेयक सार्वीय संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से सलम्नक-1 में अखिल विवरण के अनुसार संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु निहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन यथावत् प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।"

उक्त विधेयकानुसार संचालित संस्था को परिषद को सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय को अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं कमी अंकित प्रदेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	एम्प्लॉयमेंट/प्री-प्राइमरी/प्री-प्राइमरी/प्री-प्राइमरी/प्री-प्राइमरी	प्री-प्राइमरी/प्री-प्राइमरी/प्री-प्राइमरी/प्री-प्राइमरी
1	1132	बीकान इन्फैंट जूनियर हायर प्राइमरी स्कूल	प्री-प्राइमरी इन्फैंट प्री-प्राइमरी इन्फैंट प्री-प्राइमरी इन्फैंट प्री-प्राइमरी इन्फैंट	60 60 60 120
				60 60 60 120

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ सत्र एम्प्लॉयमेंट/प्री-प्राइमरी/प्री-प्राइमरी/प्री-प्राइमरी द्वारा निर्धारित की गयी शर्तें का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ सत्र उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विधेयकानी 1982 तथा अन्य निर्मित विधेयक एवं आदेशों का अनुपालन करनी तथा मुख्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित मुद्रांक लेख अधीन इच्छी पाठ्यक्रम हेतु सत्र 20 15000/- प्रतिवर्ष की दरवी कर्मचारी वेतनक्रम हेतु 80- 45,500.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो अर्थी वेतनक्रम (दो अर्थी कर्मचारी वेतनक्रम के अधीन) हेतु 80- 22,500.00 प्रतिवर्ष मुद्रांक ही प्राथमिक शर्तें/उक्त में उक्त किया जायेगा। उपरोक्त के अधीन पाठ्य/उपरोक्त से मुख्य के सम्बन्ध में सत्र-सत्र पर पालन द्वारा निर्णय किये जाने वाले हालातों/सत्र प्रकल्पों की और वेतनमान आदेशों/किया जाने आवश्यक होगा। लेख निर्धारण समिति द्वारा प्रति सत्र 2019-20 हेतु लेख का पुनर्विचार किया जाता है, तो पंजा की सीमांत पर अनु-सी।
- ✓ सत्र की (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा समिति) तथा एवं समिति, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जायेगा विधेयकानी-2019 की शर्तें का अनुपालन करनी होगा।
- ✓ सत्र में समुचित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने को ही प्रवेश दिए जायेगा। शीटों के रिक्त पर जाने की स्थिति में उक्त प्रवेश सत्रों के निर्धारण हेतु प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ सत्र को सत्र-सत्र पर निर्णय आलादेश की अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता मुद्रांक एवं कल्प होगा।


Principal
Beacon Institute Of Technology
Bye Pass Road, Partapur, Meerut (U.P.)

आवृत्तिका सूचना

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मिकी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विज्ञाना स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरंत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संचालन हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवृत्तिका नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सूची पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।


सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नोक्त सूची में अधीन पाठ्यक्रम एवं उत्तरी अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का बौद्ध एवं नाम : 1172-BEACON INSTITUTE OF TECHNOLOGY, PARTAPUR, MEERUT

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए.आई.टी.सी.टी.आई.टी.सी.टी.आई.टी. द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	
		वार्षिक द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
4	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु सूची

- ✓ संस्था ए.आई.टी.सी.टी.आई.टी.सी.टी.आई.टी. द्वारा निर्धारित की गयी सभी सूची का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट, 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमसूची 1992, सेमेस्टर विनियमसूची-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क (तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹0-30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मिकी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मिकी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रायिक छात्रावास से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले धारणापत्र प्रेषणी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमसूची-2000 की सूची का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवृत्तिका सूची को ही प्रवेश दिया जायेगा। जीटी के रिजल्ट के आने की तिथि में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत धारणापत्र के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए.आई.टी.सी.टी.आई.टी.सी.टी.आई.टी. से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनपत्रों/निर्देशों एवं विज्ञापन, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का


Principal
Beacon Institute Of Technology
 Partapur, Meerut (U.P.)
 Road

